



# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 226/NCRES/20

Date : 2.11.2020

श्रीमान <sup>वार्ड</sup> मुख्य कार्मिक अधिकारी (आई.आर.)  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :- NCRES के सेन्ट्रल पदाधिकारियों को पहचान पत्र जारी किये जाने हेतु।  
सन्दर्भ :- (i) NCRES का इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 26.9.2020 एवं 19.5.2020  
(ii) इस सम्बन्ध में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/आई.आर का जवाब द्वारा पत्र संख्या 797-ई/कार्मिक/NCRES/पत्राचार दिनांक 20.10.2020


महोदय,

अवगत कराना है कि NCRES ने संदर्भित पत्र दिनांक 26.9.2020 और 19.5.2020 द्वारा सभी केन्द्रीय पदाधिकारियों को पहचान पत्र जारी करने के लिये अनुरोध किया था जिसपर प्रधान कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 20.10.2020 द्वारा NFIR के पदाधिकारी के नाम रेलवे बोर्ड से जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति या अन्य जोनल रेलवे द्वारा केन्द्रीय पदाधिकारी के नाम जारी पहचान पत्र की छायाप्रति मांगा है।

प्रधान कार्यालय के पत्र दिनांक 20.10.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोविड-19 में सम्पूर्ण लाकडाउन के पहले रेलवे बोर्ड की सुरक्षा RPF की देखरेख में था लेकिन सम्पूर्ण लाकडाउन एवं अनलाक के समय रेलवे बोर्ड की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन है इसलिये रेलवे बोर्ड द्वारा NFIR के पदाधिकारी के नाम पूर्व में जारी पहचान पत्र वापस ले लिया गया है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र के अनुसार रेलवे बोर्ड में प्रवेश मिलता है इसलिये NCRES के महामंत्री एवं DC/JCM मेम्बर आर.पी.सिंह के नाम गृह मंत्रालय से जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

अतः अनुरोध है कि NCRES के केन्द्रीय पदाधिकारियों के नाम पहचान पत्र जारी करने के लिये उचित आदेश करने का कष्ट करे।

संलग्न : गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र।

  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री



भारत सरकार गृह मंत्रालय		GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS
		वैध तिथि VALID UPTO
		NOV 2021
		NON-OFFICIAL
	नाम Name	आर.पी. सिंह R P SINGH
	पद Designation	सदस्य/जे सी एम MEMBER/JCM
	मंत्रालय/कार्यालय Ministry office	जे सी एम J C M
रक्त समूह Blood group		AB-
		<i>Phayk</i>
	No.LG 203410031294	मुख्य सुरक्षा अधिकारी(CSO)

Tel. No. O: 9794263335  
Tel. No. R: 9415216957

अनुदेश / INSTRUCTIONS

वैध तिथि समाप्त होने पर कार्ड वापिस करे। इसके खो जाने की रिपोर्ट पुलिस तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी को तत्काल दी जानी चाहिए।  
इसके खो जाने पर ५०० रु० दंड है।

Please surrender this card on expiry. Its loss should be reported immediately to the police and the Chief Security Officer. Penalty for loss is Rs. 50/-

Date of issue : 23/10/2020